IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

प्राथमिक शिक्षा का लोकव्यापीकरणः समस्या व समाधान

डॉ0 प्रदीप कुमार तिवारी

सहायक प्राध्यापक, शिक्षा शास्त्र विभाग

आईएफटीएम विश्वविद्यालय, मुरादाबाद।

सारॉंशः

अशिक्षित व्यक्ति को वर्तमान समाज में अच्छे नजरिये से नहीं देखा जाता है। इसलिए प्रत्येक माता–पिता अपने बच्चे को शिक्षित करने का पूरा प्रयास करते हैं। शिक्षा के माध्यम से ही बच्चों की प्रवृत्तियों का शोधन और परिष्कार होता है जिससे उसका व्यवहार संतुलित एवं नियंत्रित होता है। व्यक्ति के आदतों के निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अर्थात् विद्यार्थी जैसी शिक्षा पाते हैं उसी के अनुरूप उनमें आदतों का निर्माण होता है।

परन्तु हमारे देश में शिक्षा का मुख्य आधार प्राथमिक शिक्षा की स्थिति बहुत ही दयनीय है जैसे– विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद बालक बीच में ही विद्यालय जाना छोड़ देता है, ग्रामीण क्षेत्रों में अभिभावक एक–दो वर्ष तक विद्यालय में बालकों को पढ़ाने के बाद खेती आदि के कार्य में लगा देते हैं, कहीं विद्यालय घर से बहुत दूर होता है, कहीं प्राथमिक विद्यालयों की संख्या का वितरण ठीक से नहीं पाया जाता तो कहीं विद्यालयों में योग्य अध्यापकों की कमी है। इस कारण बहुत से बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के प्रयास को धक्का लगता है। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ चलायी जा रही हैं और काफी बजट भी खर्च किया जा रहा है किन्तु परिणाम अपेक्षाकृत संतोषजनक नहीं है। इसके लिए दोषपूर्ण सरकारी नीतियाँ, शिक्षण प्रणाली, अध्यापकों की अध्यापन कार्य के प्रति धारणाएँ और विभिन्न प्रकार की क्षेत्रीय व सामाजिक समस्याएँ जिम्मेदार हैं। इस पत्र में इसी समस्या से सम्बन्धित गहन चिंतन मनन किया गया है और समस्या के सम्भावित समाधान प्रस्तुत किये गये हैं।

नक्षत्रभूशणं चन्द्रो नारीणां भूशणं पतिः।

पृथ्वी भूशणं राजा विद्या सर्वस्य भूशणम्।।

शिक्षा मनुष्य का सबसे मूल्यवान आभूषण है। जिस प्रकार आकाश का आभूषण चन्द्रमा है, नारी का आभूषण पति है, पृथ्वी का आभूषण राजा है उसी प्रकार विद्या सभी मनुष्यों का आभूषण है। विद्या वह गहना है जिसे प्रत्येक मनुष्य को धारण करना चाहिए। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। विद्याहीन व्यक्ति ऊँचे कुल में जन्म लेने के

बाद भी ठीक उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता जिस प्रकार गंधरहित ढांक के फूल। समस्त संसार में विद्वानों की ही प्रशंसा होती है, विद्वानों को ही सभी स्थानो पर आदर मिलता है। विद्या से धन–धान्य, मान–प्रतिष्ठा आदि सबकुछ मिलता है अर्थात् विद्या का सर्वत्र आदर होता है। इसलिए प्रत्येक माता–पिता अपने बच्चे को शिक्षित करना अपना परम् कर्त्तव्य समझते हैं और अपने बच्चे को उचित शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। और जो माता–पिता ऐसा नही करते हैं वे अपनी संतान के भविष्य एवं समाज के विकास के मार्ग के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। ''प्राचीन समय में ज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्र में भारत देश को **'जगत गुरू'** माना जाता था। उस समय भारत देश आर्थिक दृष्टि से भी सम्पन्न था और इसे **'सोने की चिड़िया'** कहा जाता था। वर्तमान समय में जब हम संसार के विकसित एवं विकासशील देशों की तुलना करते हैं तो पता चलता है कि विकसित देशों के विकास एवं समृद्धि का कारण वहाँ का शिक्षा स्तर है। विकसित देशों में लगभग शत्–प्रतिशत साक्षरता तो है ही, साथ ही इन देशों ने विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में भी बहुत उन्नति की है।

शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा ही मनुष्य को दूसरे जीवों से श्रेष्ठ बनाती है। यह मनुष्य में जीवन में घटने वाली घटनाओं के प्रति आलोचनात्मक सोच का विकास करती है। वास्तव में शिक्षा मनुष्य को जीवन की समस्याओं से संघर्ष करते हुए अपने अस्तित्व को बनाये रखने के योग्य बनाती है। एक आदर्श जीवन जीने के लिए समस्त मानव जाति को ज्ञान एवं गुणों के विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने शिक्षा को मौलिक अधिकार का रूप दिया जो देश में रहने वालों के लिए जन्म सिद्ध अधिकार बन गया। भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में संविधान द्वारा मानव अधिकार को सुरक्षित रखा गया है। प्राथमिक शिक्षा ही वह सीढ़ी है जो बालक को माध्यमिक और उच्च शिक्षा ग्रहण करने के योग्य बनाती है। प्राथमिक शिक्षा ही जीवन में किसी प्रकार की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मूल आधार है। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ चलायी जा रही हैं और काफी बजट भी खर्च किया जा रहा है फिर भी परिणाम अपेक्षाकृत संतोषजनक नहीं है।

किसी भी देश के विकास की रीड़ उस देश की शिक्षा व्यवस्था होती है और शिक्षा का मुख्य आधार है बुनियादी शिक्षा। यदि हम किसी इमारत को मजबूत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसकी नींव को मजबूत बनाते हैं। इसलिए शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने का प्रयास करना होगा। जीवन में शिक्षा के महत्व को ध्यान रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति का शिक्षित होना आवश्यक है और इसके लिए सभी सरकारें प्रयासरत् हैं। समय–समय पर विभिन्न नीतियों को लागू किया जा रहा है और शिक्षा के विकास के लिए एक से बढ़कर एक कदम उठाये जा रहे हैं। सभी बच्चों को (6 से 14 वर्ष तक) आवश्यक प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1 से कक्षा 8 तक) मिले इसीलिए प्राथमिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण करने के लिए **सन् 2001 में सर्वशिक्षा अभियान** चलाया गया। सर्वशिक्षा अभियान का उद्देश्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क एवं आवश्यक रूप से मिलें और देश तथा राज्य का कोई भी बच्चा इससे वंचित न रहे। इस अभियान में यह स्वीकार किया गया कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है अर्थात् सभी बच्चों को चाहे वह गरीब हो या अमीर, शहर का हो या गाँव का हो, मैदानी क्षेत्र का हो या पहाड़ी क्षेत्र का या किसी प्रकार से विकलांग हो, के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का तात्पर्य है कि बिना किसी बच्चे को छोड़े सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराना।

भारत सरकार एवं राज्य सरकारों ने प्राथमिक शिक्षा के विकास एवं लोकव्यापीकरण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएँ जैसे– जिला प्राथमिक शिक्षा योजना (DPEP), सर्वशिक्षा अभियान, मिड डे मील योजना, कस्तूरबा गाँधी विद्यालय, साक्षर भारत अभियान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) आदि समय समय पर लागू की किन्तु ये सभी योजनाएँ आज तक अपेक्षित परिणाम नही दे पायीं। इन सभी योजनाओं की असफलता के मुख्य कारण योजना बनाने

और लागू करने के मध्य लम्बा समयान्तराल, भ्रष्ट कर्मचारी, दोषयुक्त सरकारी नीतियाँ, स्वार्थी मंत्री और विभिन्न प्रकार की क्षेत्रीय समस्याएँ हैं।

प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए संवैधानिक निर्देश दिए गये हैं और प्रत्येक जन्म लेने वाले बच्चे को स्कूल जाने की उम्र तक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। लोकव्यापीकरण के लिए कई दशकों से प्रयास किये जा रहे हैं किन्तु प्राथमिक शिक्षा का पूर्ण लोकव्यापीकरण आज तक नहीं हो पाया। प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के मार्ग में आने वाली प्रमुख समस्याओं तथा उनके सम्भावित समाधानों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है –

1. दोषपूर्ण सरकारी नीतिः

भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। विभिन्न क्षेत्रीय स्वरूपों और विभिन्न जाति तथा धर्म के मानने वालों के मध्य किसी योजना को प्रभावी ढंग से लागू कर पाना अति कठिन कार्य है। लेकिन अब सरकारें सत्ता की लालच में अपनी नीतियों को जानबूझ कर ठोस कार्यवाही के साथ लागू नही करतीं और परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार से ग्रसित सरकारें केवल मतदान के लिए ही नीतियाँ बनाती हैं और जनता को दिखाने के लिए योजनाएँ चलायी जाती हैं। उन योजनाओं पर कोई अमल नही किया जाता। संवैधानिक निर्देश हैं कि 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना प्रत्येक राज्य की जिम्मेदारी है। लेकिन दुःख इस बात का है कि आज दशकों के बाद भी सरकारें अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नही कर सकीं। इसकी मुख्य वजह है सरकार की दोषपूर्ण नीति।

प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए सरकार को अपनी नीति सोच समझकर ठोस निर्देश के साथ लागू करने चाहिए और वित्तीय कमी को ध्यान में रखते हुए उसका कड़ाई से पालन करना चाहिए। सरकार को यह देखना आवश्यक है कि लोकव्यापीकरण से सम्बन्धित किसी भी योजना को बनाने और उसे लागू करने की अवधि में अधिक समयान्तराल न होने पाये। अधिक समयान्तराल होने पर परिस्थितियाँ बदल जाती हैं और योजनाएँ अपेक्षाकृत कारगर सिद्ध नहीं हो पातीं। सभी क्षेत्रों में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की सभी सुविधाओं की निगरानी करनी चाहिए और कमियों को दूर करने के लिए उचित और ठोस कदम उठा कर ही लोकव्यापीकरण की योजनाओं को लक्ष्य तक पहुँचाया जा सकता है।

2. राजनीतिक कठिनाईयाँः

शिक्षा लोकतंत्र का आधार है। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए नागरिकों का शिक्षित होना आवश्यक है। लेकिन आज तक भारत सरकार शिक्षा के विकास के लिए पूरा ध्यान केन्द्रित करने में सक्षम नहीं हो सकी। इसका मुख्य कारण यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही विभिन्न प्रकार की समस्याओं जैसे– भोजन की समस्या, कश्मीर की समस्या, पड़ोसी मुल्कों से समस्या, अधिक जनसंख्या तथा कम वित्तीय व्यवस्था की समस्या आदि का सामना करना पड़ रहा है। ये समस्याएँ आज भी गंभीर रूप से विद्यमान हैं जिसकी वजह से सरकार अपना पूरा ध्यान और पर्याप्त बजट शिक्षा के विकास के लिए देने में असफल हो रही है। इसके अतिरिक्त सरकार जो भी धनराशि शिक्षा के विकास के लिए खर्च करती है उसका पूर्ण दोहन नही हो पाता। इसके लिए लापरवाह और लालची अधिकारी तथा भ्रष्ट मंत्री जिम्मेदार हैं।

सरकार राजनीतिक समस्याओं को हल करने के लिए स्वयं जिम्मेदार है। सार्वजनिक शिक्षा की निर्बाध प्रगति के लिए सरकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी बजट शिक्षा के लिए लागू किया जाए, उसका शिक्षा के विकास के लिए ही पूर्ण उपयोग किया जाए। किसी भी कारण से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के प्रति सरकार की उदासीनता जायज नहीं हो सकती।

3. धन की कमी:

प्राथमिक स्कूलों के सामने धन की कमी एक गम्भीर समस्या है। प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व सम्भालनें वाली स्थानीय संस्थाओं के पास इतनी सीमित आय है कि वे अनिवार्य शिक्षा के व्यय के लिए भी पूरी तरह से समर्थ नही हैं। प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत आवश्यकताओं जैसे– कुर्सी, मेज, टाट पट्टी (छात्रों के बैठने के लिए), चॉक, डस्टर आदि का अभाव प्रायः देखने को मिलता है। जिसका प्रभाव बच्चों के शिक्षा पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

जनसंख्या, क्षेत्रीय समस्याएँ, वित्तीय संसाधन और विकास की गति को देखते हुए धन की कमी को पूरा करना आसान कार्य नही है इसलिए हमारे पास जो आय के संसाधन उपलब्ध हैं उनका पूरी ईमानदारी से समुचित दोहन करना होगा। प्राथमिक शिक्षा के लिए संचालित योजनाओं का निरीक्षण करके उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास करना होगा और प्रस्तावित बजट को पूरी ईमानदारी से मद में ही खर्च करने का प्रयास कड़े निर्देशों के साथ करना होगा।

4. योग्य अध्यापकों का अभाव:

अध्यापक शिक्षा प्रक्रिया का मुख्य अंग है। अध्यापक के बिना शिक्षण कार्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है और उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी इतनी जटिल है कि योग्य अध्यापकों का चयन होने में बर्षो लग जाते हैं फिर भी प्रशिक्षित एवं योग्य अध्यापक चयन प्रक्रिया से बाहर सड़कों पर अपने हक के लिए आन्दोलन करते हुए ही दिखाई देते हैं। एक ओर नवयुवक ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं के अभाव में नौकरी करना नहीं चाहते और दूसरी ओर सरकार अध्यापकों की नियुक्ति करना नहीं चाहती। ऐसी स्थिति में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना कल्पना मात्र ही है।

प्राथमिक एवं अनिवार्य शिक्षा के विकास के लिए अध्यापकों की कमी एक बहुत ही गम्भीर समस्या है। इसके लिए राज्य सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी एवं नियमित करनी होगी और ग्रामीण क्षेत्रों के अध्यापकों के लिए कुछ अतिरिक्त सुविधाओं का प्रावधान करना होगा जिससे नवयुवक गाँवों मे नौकरी करने के लिए आकर्षित हों। सरकार को अध्यापको की भर्ती एवं दिशा निर्देशों में व्यक्तिगत स्वार्थो से दूर रहना होगा। अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए आवास, आवासीय विद्यालय, अनुसूचित क्षेत्रों मे विशेष रूप से आवासीय आश्रम विद्यालय की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

5. स्कूलों की कमी:

प्राथमिक शिक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्राथमिक स्कूलों का होना अति आवश्यक है। नियमानुसार प्रत्येक एक किमी0 पर एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि लगभग सभी गाँव में प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए परन्तु आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दूर तक विद्यालय ही नहीं है। देश की लाखों बस्तियाँ ऐसी हैं जहाँ आज भी स्कूल न होने से बच्चे प्राथमिक एवं अनिवार्य शिक्षा से वंचित हैं।

भारतवर्ष की विशाल जनसंख्या के लिए तत्काल सभी सुविधाओं से युक्त प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था करना आसान कार्य नहीं है। किन्तु स्कूलों की कमी और प्राथमिक एवं अनिवार्य शिक्षा को देखते हुए किराये के मकानों, निजी घरों, मन्दिरों और स्थानीय मौसम की स्थिति को ध्यान रखते हुए खुली हवा में शान्ति निकेतन के पैटर्न पर बच्चों तक शिक्षा पहँचाने का प्रयास किया जा सकता है।

6. अनुपयुक्त पाठ्यक्रमः

प्राथमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम स्थानीय जरूरतों के अनुसार अनुपयुक्त हैं। बच्चों के लिए पाठ्यक्रम नीरस है। पाठ्यक्रम को दिलचस्प बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्रियों की भी आवश्यकता है। इसलिए पुराने पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ाई के लिए आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं।

पाठ्यक्रम को रोचक एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए जिससे बच्चों का रूझान शिक्षा की ओर बढ़ सके। आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करके पाठ्यक्रम को रोचक बनाया जा सकता है। खेल खेल में शिक्षा देने से बच्चों को पढ़ाई आसान व रोचक लगती है इसलिए बच्चों को **'खेल–खेल में सीखने'** और **'करके सीखने'** का अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए।

7. प्राकृतिक बाधाएँः

अनिवार्य शिक्षा के सार्वभौमीकरण में प्राकृतिक बाधाएँ बड़ी चुनौती है। हिमालयी क्षेत्रों की छोटी बस्तियाँ, कश्मीर, अल्मोड़ा, गढ़वाल, राजस्थान का रेगिस्तानी क्षेत्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि क्षेत्रों की गम्भीर समस्याएँ प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के मार्ग मे सबसे बड़ी बाधा हैं। यहाँ संचार एवं परिवहन की कमी के कारण बच्चे विद्यालयों मे अनुपस्थित रहने को बाध्य हैं जो कि शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए हानिकारक है।

क्षेत्रीय समस्याओं के आधार पर इन क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार के लिए भिन्न दृष्टिकोण से सोचना होगा। यहाँ के स्कूलों को मौसम के अनुसार शिफ्ट वाइज करना होगा। बच्चों को आधुनिक सहायक सामग्रियों का प्रयोग कर शिक्षा के लिए आकर्षित करने के साथ साथ यहाँ के शिक्षकों को भी शिक्षण कार्य में रूचि बनाये रखने के लिए कुछ अतिरिक्त सुविधाएँ उपलब्ध कराना होगा।

8. सामाजिक बुराईयाँः

विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराईयाँ जैसे– अंधविश्वास, निरक्षरता, पुरानी रीति–रिवाज, बाल विवाह और छुआछूत आदि प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा के विकास की प्रगति में बाधा है। इन धारणाओं मे विश्वास करने वाले लोग अपने बच्चों को शिक्षित न करके उनका बचपन में ही विवाह करके शैक्षिक योजनाओं पर जोरदार प्रहार करते हैं। छोटी सी ही उम्र मे बच्चों का विवाह करके इन मासूम बच्चों को शिक्षा की अनुपम भेंट से वंचित कर दिया जाता है। समाज की ये बुराईयाँ निरक्षरता के कारण फल–फूल रही हैं।

समाज की इन बुराईयों के कारण शिक्षा का विकास उचित गति से नहीं हो सकता और न ही **'प्राथमिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण'** की योजना सफल हो सकती है। क्योंकि समाज का एक बड़ा भाग आज भी अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा से वंचित है। इसलिए समाज के सभी शिक्षित पुरूष और महिलाओं को स्वयं अपने आस–पड़ोस के बच्चों का ध्यान रखना होगा और उन बच्चों के माता–पिता को शिक्षा के लाभ से अवगत कराकर बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रेरित करना होगा जिनके माता–पिता अपने बच्चों को स्कूल न भेजकर उन्हें किसी अन्य कार्य में लगाना अधिक पसन्द करते हैं।

9. शिक्षण सहायक सामग्री का अभावः

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य आज भी काफी पुराने ढ़ंग से किया जाता है। पुस्तकीय शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जाता है और समझने के स्थान पर रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाता है। विद्यालयों में शिक्षण सहायक सामग्रियों का पूर्णतया अभाव है। इसलिए पाठ्यक्रम और भी ज्यादा नीरस हो गया है तथा बच्चों को अध्ययन में कठिनाई का अनुभव होता है। बिना शिक्षण सहायक सामग्रियों के कक्षा में प्रत्येक विषय को पढ़ाना रोचक नहीं लगता और न ही विद्यार्थियों का ध्यान केन्द्रित हो पाता है।

विद्यार्थियों को रोचक ढ़ंग से पढ़ाने के लिए तथा उनमें अध्ययन के प्रति रूचि बनाये रखने के लिए आधुनिक सहायक शिक्षण सामग्रियों और शिक्षण विधियों का आवश्यक है। सहायक सामग्रियों का प्रयोग करने से बच्चों को विषयवस्तु समझने मे आसानी होती है और पढ़ने में आनन्द भी आता है। अतः प्राथमिक विद्यालयों में मुफ्त पुस्तकें, भोजन और वर्दी आदि के साथ साथ अध्यापकों को शिक्षण सहायक सामग्रियाँ भी उपलब्ध करायी जाये।

10.अभिभावकों की अशिक्षा एवं उनकी शिक्षा के प्रति रूचिः

हमारे देश मे आज भी अशिक्षित अभिभावकों की कमी नहीं है। और ये अभिभावक अन्धविश्वास के वशीभूत होकर अपने पुत्रों को तो स्कूल भेज भी देते हैं किन्तु ये बेटियों को स्कूल भेजना अनुचित समझते है। अधिकतर अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित कर अपने व्यवसाय मे लगाना और व्यवसाय को सिखाना ही उचित समझते हैं। बड़ी मात्रा में अशिक्षित और अन्धविश्वासी अभिभावक हैं जो बेटियो को बिल्कुल भी शिक्षा नहीं देना चाहते हैं उन्हें केवल गृह कार्यों में ही दक्ष करना चाहते हैं। इस प्रकार देश का एक बड़ा भाग शिक्षा से वंचित रह जाता है और शिक्षा के विकास की योजनाएँ विफल हो जाती हैं।

इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए समाज के शिक्षित वर्ग को एकजुट होकर सरकारी योजनाओं को सफल बनाने के लिए इन अशिक्षित एवं अन्धविश्वासी अभिभावकों को शिक्षा के लाभ से अवगत कराकर उनकी रूचि शिक्षा के प्रति बढ़ानी होगी। इसके लिए दूरदर्शन, समाचारपत्रों, सम्मेलनों, गोष्ठी आयोजनों, गाँवों मे नाटकीय कार्यक्रमों और रेडियो आदि माध्यमों का सहारा लिया जा सकता है।

निष्कर्षः

इस प्रकार उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि भारत देश में प्राथमिक एवं अनिवार्य शिक्षा के लोकव्यापीकरण की प्रक्रिया शिथिल है और इसकी शिथिलता के लिए जिम्मेदार कारक किस प्रकार से कार्यरत् हैं। देश के विकास के लिए आवश्यक है कि देश के सभी नागरिक शिक्षित हों और शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक शैक्षिक विधियों एवं सहायक सामग्रियों का भरपूर प्रयोग हो। सरकारी नीतियों, क्षेत्रीय समस्याओं और धन आदि की कमियों का ध्यान रखते हुए सरकार, कर्मचारियों और अभिभावकों को एकजुट होकर 'प्राथमिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण' की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए ईमानदारी एवं निष्ठा से प्रयास करना होगा अन्यथा प्राथमिक शिक्षा के लिए बनायी जाने वाली नीतियाँ अपने सार्थक परिणाम से वंचित रह जायेगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

- अग्रवाल, जे. सी. : आधुनिक भारतीय शिक्षा, शिप्रा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007.
- अग्रवाल, जे. सी. और एस. गुप्ता : उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा, शिप्रा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2010.
- गुप्ता, एस. पी. : भारतीय शिक्षा की समस्याएँ, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 1990.
- गुप्ता, आर. के. : पूर्वांचल शिक्षा के व्यापक उपागम, एन. सी. ई. आर. टी. केन्द्रीय स्रोत, 1980.
- दास, एम. : एजुकेशन इन इण्डिया : प्रॉब्लम्स् एण्ड प्रॉसपेक्टिवस्, एटलांटिक पब्लिशर, नई दिल्ली, 2004.
- पचौरी, डॉ गिरीश : उभरते भारतीय समाज में शिक्षक की भूमिका, आर0 लाल बुक डिपो, मेरठ, 2011.
- लाल, रमन बिहारी : शिक्षा मनोविज्ञान और मापन, आर0 लाल बुक डिपो, मेरठ, 2010.